

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 168 / अ०स्था० / 2026-27 / दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-2 (मानसिक रूप से विकसित अथवा रोगग्रस्त बच्चे) स०अ०रा०प्रा०वि०

| क.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम | वर्तमान विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3     | 4                       | 5                            |
| 1     | श्रीमती मीना विश्वकर्मा                   | स०अ०  | रा०प्रा०वि०जनकाण्डे     | रा०प्रा०वि०थपलियालखेड़ा      |
| 2     | श्रीमती तनूजा वर्मा                       | स०अ०  | रा०प्रा०वि०मंच          | रा०प्रा०वि०सयाली चम्पावत     |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

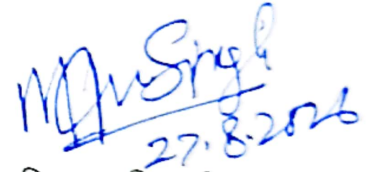
1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

*(मान सिंह)* 27.8.2026

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2723-32/अ०स्था०/2026-27 दिनांक उक्तावत्।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2—जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4—निदेशक, प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कुमायूं मण्डल नैनीताल।
- 6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।
- 8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
- 9—सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
27.8.2026

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 169 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड ब्लॉक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

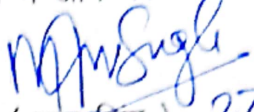
स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम | वर्तमान विद्यालय का नाम      | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम  |
|--------|-------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3     | 4                            | 5                             |
| 1      | श्री राकेश                                | स०अ०  | रा०प्रा०वि०बनौली पाटी        | रा०प्रा०वि०त्यारकूड़ा चम्पावत |
| 2      | श्रीमती आशुरानी                           | स०अ०  | रा०प्रा०वि०मथियाबांज चम्पावत | रा०प्रा०वि०टनकपुर चम्पावत।    |
| 3      | श्रीमती रमा पन्त                          | स०अ०  | रा०प्रा०वि०चमौला             | रा०प्रा०वि०गैंडाखाली चम्पावत  |
| 4      | श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा                 | स०अ०  | रा०प्रा०वि०काकडी             | रा०प्रा०वि०गैंडाखाली चम्पावत  |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

  
(मान सिंह) 27.8.2026

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा0शि0) चम्पावत।

पृ0स0 / 2733-42 / अ0स्था0 / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

2—जिलाधिकारी, चम्पावत।

3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।

4—निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।

5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।

6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।

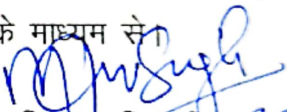
7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।

8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार

सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

9—सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।

10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(प्रा0शि0) चम्पावत। 27.8.2026

## कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 170 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-4 (पति-पत्नी) सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०

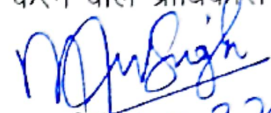
| क्र.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम | वर्तमान विद्यालय का नाम   | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम   |
|---------|-------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                                         | 3     | 4                         | 5                              |
| 1       | श्रीमती बबीता टम्टा                       | स०अ०  | रा०प्रा०वि०खडनौला लोहाघाट | रा०प्रा०वि०रायकोट कुवर लोहाघाट |
| 2       | श्रीमती सोनिया लुहानी                     | स०अ०  | रा०प्रा०वि०जोस्यूडा       | रा०प्रा०वि०खेतीखान पाटी        |
| 3       | श्रीमती नेहा वर्मा                        | स०अ०  | रा०प्रा०वि० सल्ली         | रा०प्रा०वि०डुंगरासेठी चम्पावत  |
| 4       | श्री कैलाश चन्द्र                         | स०अ०  | रा०प्रा०वि०पुण्डिल        | रा०प्रा०वि०दिगालीचौड लोहाघाट   |
| 5       | श्रीमती दीक्षा गोस्वामी                   | स०अ०  | रा०प्रा०वि०गरसाडी         | रा०प्रा०वि०भैसख पाटी           |
| 6       | रेखा टम्टा                                | स०अ०  | रा०आ०प्रा०वि०कामाज्यूला   | रा०प्रा०वि०लेकअमोडी चम्पावत    |
| 7       | रश्मि उपाध्याय                            | स०अ०  | रा०आ०प्रा०वि०नरसिंह डांडा | रा०प्रा०वि०सुयालखर्क चम्पावत   |
| 8       | श्रीमती भगवती                             | स०अ०  | रा०प्रा०वि०चौडला          | रा०प्रा०वि०बलाई लोहाघाट        |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

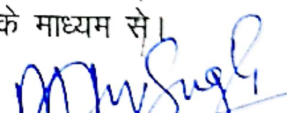
1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से

स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

  
(मान सिंह) 27.8.2026  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा0शि0) चम्पावत।

- पृ0स0 /2743-52/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - 2—जिलाधिकारी, चम्पावत।
  - 3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
  - 4—निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
  - 5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।
  - 6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
  - 7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।
  - 8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
  - 9—सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
  - 10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा0शि0) चम्पावत।

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 121 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

~~कार्यालय ज्ञाप~~ / अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

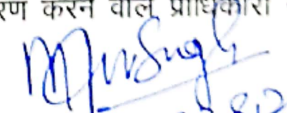
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विधवा, विधुर, तलाकसुदा एवं वरिष्ठ कार्मिक) प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०

| क.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पदनाम  | वर्तमान विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|-------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                        | 3      | 4                       | 5                            |
| 1     | श्री राजेश सार्की        | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०विदिल        | रा०प्रा०वि०बनगांव            |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

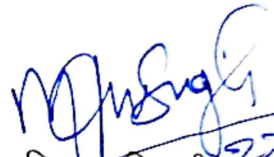
1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

  
(मान सिंह) 27.8.2026  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2753-62/अ०स्था० / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2—जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4—निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।
- 6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।
- 8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
- 9—सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी, 27/8/2016  
(प्रा0शि0) चम्पावत।

## कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 172 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-4 (कार्यरत पति-पत्नी) प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०

| क.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम<br>श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम  | वर्तमान विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3      | 4                       | 5                            |
| 1     | कमलेश जोशी                                   | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०मानर पाटी    | रा०प्रा०वि०मुडियानी चम्पावत  |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

  
(मान सिंह) 27.8.2026

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2763-72/अ०स्था०/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

2-जिलाधिकारी, चम्पावत।

3-अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।

4-निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहसादून।

5-मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।

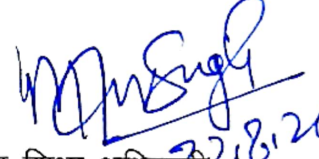
6-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।

7-सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।

8-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।

9-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।

10-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा0शि0) चम्पावत।  
27.8.2026

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 173 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

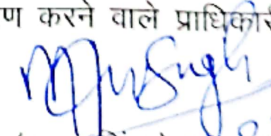
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विधवा, विधुर, तलाकसुधा तथा वरिष्ठ कार्मिक) प्र० अ० रा० उ० प्रा० वि०

| क.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम   | वर्तमान विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|-------|-------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3       | 4                       | 5                            |
| 1     | श्रीमती अन्नपूर्णा जोशी                   | प्र० अ० | रा० उ० प्रा० वि० बेलखेत | रा० उ० प्रा० वि० सैलानीगोठ   |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

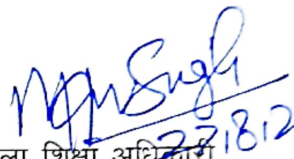
  
(मान सिंह) 27.8.2026  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा० शि०) चम्पावत।

पृ० सं० / 2783-92/अ०स्था० / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2-जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 3-अपर जिलाधिकारी, चम्पावत।
- 4-निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5-मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
- 6-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
- 7-सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत।
- 8-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
- 9-सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
- 10-कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा0शि0) चम्पावत।

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 174 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनकम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-4 (पति-पत्नी) सहायक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि०

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम        | वर्तमान विद्यालय का नाम     | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|--------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3            | 4                           | 5                            |
| 1      | श्री पुष्कर सिंह                          | स०अ० सामान्य | रा०उ०मा०वि०चूलागांव बाराकोट | रा०उ०प्रा०वि०वीनाडा बाराकोट  |
| 2      | श्रीमती सीमा पनेरु                        | स०अ० भाषा    | रा०उ०प्रा०वि०चल्थिया पाटी   | रा०उ०प्रा०वि०खतेडा लोहाघाट   |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
6. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
8. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(मान सिंह) 27.8.2026

जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2793-2004/अ०स्था०/2026-27 दिनांक उक्तवत् ।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2—जिलाधिकारी, चम्पावत ।

3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत ।

4—निदेशक, प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून ।

5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कुमायूं मण्डल नैनीताल ।

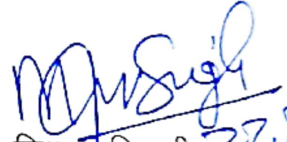
6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।

7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत ।

8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार  
सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/  
कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये ।

9—सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ।

10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी, 27.8.2026  
(प्रा०शि०) चम्पावत ।

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 176 /अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विद्यवा,विधुर,तलाकसुधा तथा वरिष्ठ कार्मिक) स०अ०रा०उ०प्रा०वि०

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु० | पदनाम        | वर्तमान विद्यालय का नाम     | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम |
|--------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3            | 4                           | 5                            |
| 1      | श्री जीवन चन्द्र जोशी                     | स०अ० सामान्य | रा०उ०प्रा०वि०डसियाचामी पाटी | रा०उ०प्रा०वि०कजीना पाटी      |
| 2      | श्रीमती पदमा देउपा                        | स०अ० सामान्य | रा०क०उ०प्रा०वि०पाटी         | रा०उ०प्रा०वि०पोखरी पाटी      |
| 3      | श्रीमती ज्योति खर्कवाल                    | स०अ० भाषा    | रा०आ०उ०प्रा०वि०कानाकोट      | रा०उ०प्रा०वि०पोखरी पाटी      |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

5. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
6. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
8. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(मान सिंह) 27.8.2026  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2813-22 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक उक्तवत् ।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—  
1—महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2—जिलाधिकारी, चम्पावत ।

3—अपर जिलाधिकारी, चम्पावत ।

4—निदेशक, प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून ।

5—मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि०कुमायूं मण्डल नैनीताल ।

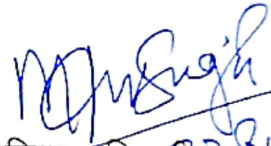
6—मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।

7—सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत ।

8—सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार  
सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/  
कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये ।

9—सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ।

10—कार्यालय सुरक्षित पंजिका ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी 27.8.2026  
(प्रा०शि०) चम्पावत ।

# कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत।

आदेश सं० / 175 /अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) प्रधानाध्यापक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि०

| क्र.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पदनाम  | वर्तमान विद्यालय का नाम    | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम   |
|---------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2                        | 3      | 4                          | 5                              |
| 1       | प्रकाश चन्द्र            | प्र०अ० | रा०उ०प्रा०वि०देवीधूरा पाटी | रा०उ०प्रा०वि० इजटटाडुंगरा पाटी |
| 2       | हेमन्ती खनका             | प्र०अ० | रा०उ०प्रा०वि०बुडहम चम्पावत | रा०उ०प्रा०वि०फागपुर चम्पावत    |

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(मान सिंह) 27.8.2026  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत।

पृ०स० / 2803-12/अ०स्था०/2026-27 दिनांक उक्तवत् ।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2-जिलाधिकारी, चम्पावत ।

3-अपर जिलाधिकारी, चम्पावत ।

4-निदेशक, प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून ।

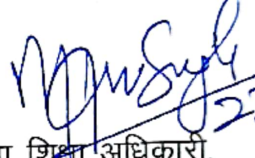
5-मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि०कुमायूं मण्डल नैनीताल ।

6-मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।

7-सम्बन्धित कोषाधिकारी चम्पावत ।

8-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की प्रधानाध्यापक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ।

10-कार्यालय सुरक्षित पंजिका ।

  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
(प्रा०शि०) चम्पावत ।  
27.8.2026